

MUNICIPAL CORPORATION BHILAI

NIT

जोन क्र. 04 अंतर्गत पेयजल एवं अन्य विद्युत संधारण संबंधी कार्य हेतु
लाईनमेन (अर्धकुशल श्रमिक) प्रदाय कार्य

(Item Rate)

S.N.	DETAILS OF ITEM	QTY.
1.	Labour only for maintenance of electrical fixture such as Tube light, Sodium fixture, Mercury fixture and Juno light etc. Complete all necessary tools but e/x accessories. For one Year e/x Holidays. A. Assistant Line man (Semi Skilled) (Including EPF, ESI)	624 Days



Executive Engineer
Municipal Corporation
Bhilai



Assistant Engineer
Municipal Corporation
Bhilai



Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

कार्य का नाम :- जोन-04 अंतर्गत पेयजल एवं अन्य विद्युत संधारण संबंधी कार्य हेतु लाईनमेन (अर्धकुशल श्रमिक) प्रदाय कार्य।

आवश्यक नियम-शर्तें

1. निविदा दाता के पास नगर पालिक निगम, भिलाई में श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सहायक श्रमायुक्त द्वारा प्रदत्त जीवित अनुज्ञप्ति पर्याप्त संख्या की होनी चाहिये।
2. निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा -
 1. वैध लेबर लायसेंस।
 2. निगम में ठेकेदार हेतु पंजीकृत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।
 3. ठेकेदार का पैन कार्ड।
 4. आयकर विवरणी विगत 02 वर्ष का।
 5. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र।
 6. वैध बैंक सॉल्वेंसी
3. निविदा के समय वैध लेबर लायसेंस नहीं होने की स्थिति में निविदा प्राप्त होने के पश्चात निविदाकार को 1 माह के भीतर वैध लेबर लायसेंस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्राप्त होने के पश्चात कार्यादेश प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किए जाने पर निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संधारण हेतु श्रमिकों की अनुपस्थिति में तत्काल अन्य श्रमिकों की व्यवस्था तत्काल निविदाकार को करनी होगी। श्रमिकों की अनुपस्थिति एवं अन्य श्रमिक के उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में एक अनुपस्थिति पर 02 दिवस की वेतन कटौती के आधार पर कटौती की जावेगी।
5. उपलब्ध कराए गए श्रमिक/श्रमिकों के दुर्घटना संबंधी सम्पूर्ण जवाबदारी नियुक्तकर्ता निविदाकार की होगी।
6. उपलब्ध कराए गए श्रमिक श्री सहायक अभियंता महोदय के निर्देश के अनुसार कार्य संचालित करेंगे। यदि किसी श्रमिक द्वारा दिये गये निर्देश की अवहेलना की जाती है तो उक्त स्थिति में उक्त श्रमिक के स्थान पर निविदाकार को अन्य श्रमिक की व्यवस्था करनी होगी।
7. प्रतिदिन कार्य 08 घंटे की निर्धारित अवधि का होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों से समयसीमा से अधिक समय तक कार्य लिया जावेगा। बुलाये गये समय पर श्रमिक उपलब्ध कराने की जवाबदारी निविदाकार की होगी एवं समय परिवर्तन किए जाने पर भी श्रमिक उपलब्ध करने हेतु निविदाकार बाधित होगा। अतिरिक्त कार्य लिये जाने के लिये श्रमिकों को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. निविदा के सम्पूर्ण भाग में किसी भी भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम आयुक्त महोदय को पूर्ण अधिकार होगा एवं किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
9. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य छोड़ नहीं सकेगा और न ही किसी अन्य को हस्तांतरण कर सकेगा। यदि अनुबंध की बीच की अवधि में कार्य छोड़ा गया तो पुनः निविदा बुलाकर हानि की क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जावेगी साथ ही उनकी सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी।
10. निविदाकर समस्त व्यय एवं शासन द्वारा अधिरोपित समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेगा।
11. श्रमिक प्रदाय कार्य के लिये अनुबंध की अवधि 365 दिनों के लिये होगी। किन्तु आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की संख्या एवं कार्य अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
12. शासन द्वारा घोषित नियमों एवं न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगतान नियोजित कर्मचारी को नहीं किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार (अनुबंधित एजेंसी) की होगी।

13. छ.ग. शासन में सभी प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम नियमों/संविदा मजदूरी व भविष्य निधि तथा दुर्घटना बीमा आदि का निराकरण करने की जवाबदारी संबंधित एजेंसी की होगी एवं संबंधित किसी भी प्रकार के शिकायतों के निवारण की जवाबदारी भी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
14. सहायक श्रमायुक्त की दर में परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तित दर का भुगतान नगर निगम द्वारा अनुबंधित एजेंसी को किया जावेगा।
15. प्रतिमाह निगम द्वारा निर्धारित उपस्थिति माध्यम से दर्ज कराए गए उपस्थिति के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत वेतन देयक के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा।
16. अनुबंधित एजेंसी को प्रत्येक माह कार्य का देयक 05 तारीख तक निगम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित एजेंसी का होगा।
18. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभागों में जमा कराई गई राशि की रसीद की प्रति प्रत्येक माह में 10 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसके उपरांत ही अगला भुगतान किया जावेगा।
19. एजेंसी श्रम बीमा, भविष्यनिधि आदि से संबंधित समस्त कानूनों का पालन करने के लिये स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्राप्त प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस पर आने वाले वित्तीय भार प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा वहन किया जावेगा।
20. अनुबंधित एजेंसी को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रवधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान जो कि ई.पी.एफ., ई.एस.आई, अवकाश वेतन आदि करना अनिवार्य होगा।
21. अनुबंधित एजेंसी को निगम के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकार को जमा निविदा धरोहर राशि को राजसात कर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

नगर पालिक निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निगम आयुक्त/महापौर परिषद का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।



कार्यपालन अभियंता
शिवाजी नगर जोन-04
नगर पालिक निगम भिलाई